क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	शामिल कस्बे	जारी राशि	सूचित खर्च(अगस्त 98)
23.	त्रिपुरा	9	2.53	3.67
24.	उत्तर प्रदेश	85	27.24	38.86
25.	प.बंगाल	66	21.33	35.38
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.92	1.24
27.	दादरा और नगर हवेली	2	1.00	0.16
28.	दमन और दीप	1	0.23	0.00
29.	लक्ष्यद्वीप	1	0.25	0.00
30.	पोंडीचेरी	6	2.11	1.60
	कुल	920	317.99	491.62

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियत्ताओं के स्थानान्तरण संबंधी मानदंड

1692. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्न एवेन्यू स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) ऐसे अभियन्ताओं की संख्या कितनी है जो गत दस-बारह वर्षो से वहां तैनात है और उनकी तैनाती के क्या कारण हैं;और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अभियन्ताओं को तत्काल स्थानान्तरिक करने के लिए कोई प्रयास किए हैं और यदि नहीं,तो इनके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक इंजीनियरों को स्वमान्यत: फील्ड और आयोजना पदों पर क्रमश: 4 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरा करने पर क्रमानुक्रम में तैनात किया जाता है । कांनल इंजीनियरों का समान्यत: 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है नार्थ एवेन्यू सर्विस सेन्टर के लिए भी वहीं मानदण्ड हैं ।

(ख) और(ग) ऐसा कोई सहायक इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर नहीं हैं ।

Hyderabad—Secunderabad as a Composite Metropolitan

1693, SHRI P, PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of URBAN' AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ffesirs it a proposal! 80 oiedare the twin cities of JKiyderabad-Seeuidcrabad as £ composes metropolitan city;

(b) 4 so, the details thereof and the benefits that will accure to the people of this city as a result thereof;

(c) by when this announcement is likely to fee made; and

(d) if answer to part (a) above be in negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JATHMALA^!); (a) to (d) The iisfonnsSom is Ssxsireg collected and will be laid on the Tabte of the Sabha.

महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग

1694. **श्री बरजिन्दर सिंह** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया हैं;

(ख) यदि हां,तो ऐसे कुल कितने महानगर है और उनमें कितने प्रतिशत लोग उन गंदी बस्तियों में रहते हैं;

(ग) क्या सरकर ने इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने उद्देश्य से उन्हीं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई परियोजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य (श्री कंडारू दत्तात्रेय): (क) और(ख) जी,नहीं । शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने महानगर,(मेट्रो) शहरों में समल आबादी मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है,तथापि 1991 की जनगणना के आधार पर नगर एंव ग्राम नियोजन संगठन के आंकलन के अनुसार,23 पहचाने गए महानगर (मैट्रो) शहरों में करीब 26.6% स्लग्र-वासी रह रहे हैं ।

(ग) और(घ) भारत सरकार ने शहरी लोगों के विकास के लिए राज्यों/ऋण आवदेनों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए अवश्य,1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम स्कीम शुरू की थी

(ड़) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत र्व 1998-99 के लिए योजना आयोग ने 350 करोड़ रू.आवंटित किए है ।

Fraudulent practiods by eminent builders in capital

1695. SHRI PARAG CHALIAHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of many a fraudulent practice indulged in by even eminent builders in the Capital; and

(b) if so, the steps taken/contemplated to put a full stop thereom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHHRI. BANDARU DATTATREYA: (a) Instances of cheating by some bulider in the Capital have been by come beioer in representation addressed to be Government from time to tine.

(b) The cases against the dishonest builders, can be filed under Casumer Protection Act 1986 and also under the Indian Penal Code and action is taken against the persons indulging in fraudulent practices as per due process of law.

A proposal to enact a legislation to control and regulate the activities of promoters & estate agents in the
is also one of the measures intended to curb such malpractices.

गुजरात और महाराष्ट्र में शहरी विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि

1696.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या मंत्री कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि में धनराशि के आवंटन के प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं;और

(घ) इन राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में समर्थन बनाने के लिए सरकार धनराशि के आबंटन को कब तक अंतिम रूप देने का विचार रखती हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और(ख) योजना आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के शहरी विकास,आवास (पुलिस आवास),जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों के लिए नौंवी योजना(1997-2002) राज्य क्षेत्र परिव्यय निम्नलिखित अनुसार अनुमोदित किया हैं ।